

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 25/05/2019

विषय: ग्रामीण क्षेत्रों से संग्रहित होने वाले ठोस अवशिष्ट के प्रबंधन के संबंध में।

महाशय,

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में ग्रामीण क्षेत्रों से संग्रहित होने वाले ठोस अवशिष्ट के प्रबंधन के संबंध में हुई बैठक, दिनांक-01.04.2019 की कार्यवाही का संदर्भ किया जाए, जो विभागीय पत्रांक-2618 दिनांक-18.04.2019 द्वारा आपको प्रेषित है।

2. इस संबंध में निम्नवत् अग्रेतर कार्रवाई की जाए :-

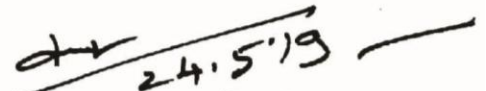
- (i) सभी ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों में 2 अक्टूबर, 2019 तक हर घर से डोर-टू-डोर गीला एवं सूखा ठोस अवशिष्ट का संग्रहण एवं पृथकीकरण की सुविधा स्थापित कराई जाए।
- (ii) प्रत्येक 2 वार्डों पर एक Cart की व्यवस्था अपेक्षित होगी, जिसका दो वार्डों के स्वच्छता कर्मी संयुक्त संचालन करेंगे।
- (iii) पंचायत को वार्ड के प्रत्येक घर से सूखा एवं गीला कचरा संग्रहण के लिये अलग-अलग Dustbin की व्यवस्था करनी होगी।
- (iv) प्रत्येक राजस्व ग्राम में, पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल पर वर्मी कम्पोस्ट इकाई तैयार किया जाए।
- (v) ठोस अवशिष्ट संग्रहण एवं संस्करण करने का कार्य ग्राम पंचायतें, जीविका संगठनों के माध्यम से करा सकती है। यदि जीविका संगठन तैयार नहीं हो तो, ग्राम पंचायतों द्वारा Outsourcing

 लगातार.....
24.5/19

agency द्वारा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन कराया जाएगा। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के निम्न घटक होंगे :-

- (a) डोर-टू-डोर गीला एवं सूखा ठोस अवशिष्ट का संग्रहण एवं पृथक्कीकरण।
- (b) ठोस अवशिष्ट का प्रसंस्करण करते हुए वर्मी कम्पोस्ट बनाना।
- (c) संग्रहण स्थल का चयन एवं प्रबंधन।
- (d) पाक्षिक तौर पर चक्रीय क्रम में नालियों की सफाई एवं चूना/ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव।
- (vi) ग्राम पंचायत आम सहमति से स्वच्छता शुल्क वसूल सकती है, ग्राम पंचायत/ग्राम संगठन संग्रहित कूड़े से बनने वाले वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग अथवा बिक्री अपने संस्था के संसाधन वृद्धि के लिए कर सकेगी।
- (vii) संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किया जाएगा।
- (viii) इस व्यवस्था पर आने वाला व्यय, ग्राम पंचायतें अपने संसाधनों (यथा-चौदहवाँ वित्त आयोग का अनुदान, पंचम राज्य वित्त आयोग का अनुदान) से करेगी।

विश्वासभाजन


(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।